

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम, मुंगेर

पटना, दिनांक- 24/05/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के नगर निगम, मुंगेर में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल नगर प्रबंधक को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से 06 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹1.97220 लाख (एक लाख संतानवे हजार दो सौ बीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत नगर निगम, मुंगेर में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत 01 नगर प्रबंधक को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹1.97220 लाख (एक लाख संतानवे हजार दो सौ बीस रु०) मात्र विभागीय राज्यादेश सं०- 08, दिनांक- 24.05.2018 के क्रमांक- 02 के आलोक में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित किया जाता है :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	छः माह हेतु स्वीकृत मानदेय की राशि (4*6)
1	2	3	4	5
1	नगर निगम मुंगेर	1	32,870.00	1,97,220.00

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹1.97220 लाख (एक लाख संतानवे हजार दो सौ बीस रु०) मात्र।

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जा रहा है।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टेपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से

4

एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित नगर प्रबंधकों के मार्च, 2018 से अगस्त, 2018 की अवधि के मानदेय भुगतान पर किया जाएगा।

4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

6. उक्त आवंटित राशि ₹1.97220 लाख (एक लाख सतानवे हजार दो सौ बीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801910015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर निगमों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानदेय भुगतान पर किया जाएगा।

7. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर, कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश/से,

04.10.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 19 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-04/10/18

**प्रतिलिपि:-** महालेखाकार, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर प्रबंधक, मुंगेर नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर, कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहीक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. मुंगेर कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

04.10.18  
सरकार के विशेष सचिव।

\* ई-मेल  
स्पीड पोस्ट/निबंधित  
डाक

## बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 24/5/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निकायों में संविदा के आधार पर नियुक्त/कार्यरत कुल 61 नगर प्रबंधकों को प्रति माह ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सत्तर रु०) मात्र की दर से 06 माह के मानदेय की राशि के भुगतान हेतु कुल ₹120.30420 लाख (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार चार सौ बीस रु०) मात्र की सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों में वर्तमान में पदस्थापित एवं कार्यरत 61 नगर प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 06 माह के मानदेय भुगतान हेतु कुल ₹120.30420 लाख (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार चार सौ बीस रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नगर प्रबंधक	कार्यरत नगर प्रबंधकों की संख्या	एक माह का मानदेय	छः माह हेतु स्वीकृत मानदेय की राशि (4*6)
1	2	3	4	5
1	नगर निगम आरा	1	32,870.00	1,97,220.00
2	नगर निगम मुंगेर	1	32,870.00	1,97,220.00
3	नगर निगम दरभंगा	1	32,870.00	1,97,220.00
4	नगर निगम बिहारशरीफ	1	32,870.00	1,97,220.00
5	नगर निगम कटिहार	1	32,870.00	1,97,220.00
6	नगर निगम पूर्णियाँ	1	32,870.00	1,97,220.00
7	नगर निगम मुजफ्फरपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
8	नगर निगम, भागलपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
9	नगर निगम, बेगूसराय	1	32,870.00	1,97,220.00
10	नगर निगम गया	2	65,740.00	3,94,440.00
	योग (क)	11	3,61,570.00	21,69,420.00
11	नगर परिषद्, खगौल	1	32,870.00	1,97,220.00
12	नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ	1	32,870.00	1,97,220.00
13	नगर परिषद्, दानापुर	1	32,870.00	1,97,220.00
14	नगर परिषद्, फतुहा	1	32,870.00	1,97,220.00

15	नगर परिषद्, बाढ़	1	32,870.00	1,97,220.00
16	नगर परिषद्, नवादा	1	32,870.00	1,97,220.00
17	नगर परिषद्, डुमराँव	1	32,870.00	1,97,220.00
18	नगर परिषद्, हिलसा	1	32,870.00	1,97,220.00
19	नगर परिषद्, किशनगंज	1	32,870.00	1,97,220.00
20	नगर परिषद्, जहानाबाद	1	32,870.00	1,97,220.00
21	नगर परिषद्, बीहट	1	32,870.00	1,97,220.00
22	नगर परिषद्, जमुई	1	32,870.00	1,97,220.00
23	नगर परिषद्, शेखपुरा	1	32,870.00	1,97,220.00
24	नगर परिषद्, हाजीपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
25	नगर परिषद्, समस्तीपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
26	नगर परिषद्, बेतिया	1	32,870.00	1,97,220.00
27	नगर परिषद्, अरवल	1	32,870.00	1,97,220.00
28	नगर परिषद्, बगहा	1	32,870.00	1,97,220.00
29	नगर परिषद्, सुपौल	1	32,870.00	1,97,220.00
30	नगर परिषद्, नरकटियागंज	1	32,870.00	1,97,220.00
	<b>योग (ख)</b>	<b>20</b>	<b>6,57,400.00</b>	<b>39,44,400.00</b>
31	नगर पंचायत, बोधगया	1	32,870.00	1,97,220.00
32	नगर पंचायत, बड़हिया	1	32,870.00	1,97,220.00
33	नगर पंचायत, राजगीर	1	32,870.00	1,97,220.00
34	नगर पंचायत, मोहनिया	1	32,870.00	1,97,220.00
35	नगर पंचायत, मैरवा	1	32,870.00	1,97,220.00
36	नगर पंचायत, मनेर	1	32,870.00	1,97,220.00
37	नगर पंचायत, मोतीपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
38	नगर पंचायत, नवीनगर	1	32,870.00	1,97,220.00
39	नगर पंचायत, डुमरा	1	32,870.00	1,97,220.00
40	नगर पंचायत, खुशरूपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
41	नगर पंचायत, सोनपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
42	नगर पंचायत, रफीगंज	1	32,870.00	1,97,220.00
43	नगर पंचायत, चकिया	1	32,870.00	1,97,220.00
44	नगर पंचायत, सुगौली	1	32,870.00	1,97,220.00
45	नगर पंचायत, नासरीगंज	1	32,870.00	1,97,220.00
46	नगर पंचायत, घोघरडीहा	1	32,870.00	1,97,220.00
47	नगर पंचायत, नवगछिया	1	32,870.00	1,97,220.00
48	नगर पंचायत, हिसुआ	1	32,870.00	1,97,220.00
49	नगर पंचायत, मेहसी	1	32,870.00	1,97,220.00
50	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
51	नगर पंचायत, मखदुमपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
52	नगर पंचायत, दिघवारा	1	32,870.00	1,97,220.00
53	नगर पंचायत, जगदीशपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
54	नगर पंचायत, शाहपुर	1	32,870.00	1,97,220.00
55	नगर पंचायत, बिक्रम	1	32,870.00	1,97,220.00
56	नगर पंचायत, टेकारी	1	32,870.00	1,97,220.00
57	नगर पंचायत, बांका	1	32,870.00	1,97,220.00
58	नगर पंचायत, परसा बाजार	1	32,870.00	1,97,220.00
59	नगर पंचायत, नोखा	1	32,870.00	1,97,220.00
60	नगर पंचायत, बेलसंड	1	32,870.00	1,97,220.00
	<b>योग (ग)</b>	<b>30</b>	<b>9,86,100.00</b>	<b>59,16,600.00</b>
	<b>कुल योग (क+ख+ग)</b>	<b>61</b>	<b>20,05,070.00</b>	<b>1,20,30,420.00</b>

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹120,30,420 लाख (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार चार सौ बीस रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. विभागीय आदेश सं०- 1335, दिनांक- 27.02.2017 द्वारा नगर प्रबंधकों के मासिक मानदेय को ₹30,300.00 (तीस हजार तीन सौ रु०) से बढ़ाकर ₹32,870.00 (बत्तीस हजार आठ सौ सतर रु०) कर दिया गया है। बढ़े हुए दर से मानदेय का भुगतान मार्च, 2017 से किया जा रहा है।
3. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय (नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत) के संबंधित नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर प्रबंधक को एकाउन्टपेयी चेक द्वारा अवधि विस्तार की तिथि तक का ही भुगतान किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् संबंधित नगर निकायों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र टी०भी० नं० एवं तिथि सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को भेज कर उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को निश्चित रूप से एक पखवारे के अंदर उपलब्ध करा दी जाय। स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित नगर प्रबंधकों के मार्च, 2018 से अगस्त, 2018 की अवधि के मानदेय भुगतान पर किया जाएगा।
4. राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998, एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।
6. उक्त स्वीकृत राशि ₹120.30420 लाख (एक करोड़ बीस लाख तीस हजार चार सौ बीस रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-
  - (क) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 1 से 10 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹21.69420 लाख (इक्कीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ बीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उप शीर्ष- 0015-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0015.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801910015 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर निगमों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानदेय भुगतान पर किया जाएगा।
  - (ख) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 11 से 30 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹39.44400 लाख (उनचालीस लाख चौवालीस हजार चार सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता, उप शीर्ष- 0008-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0008.31.04-सहायक अनुदान- वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801920008 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर परिषदों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानदेय भुगतान पर किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 31 से 60 के स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹59.16600 लाख (उनसठ लाख सोलह हजार छः सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय), मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 80-सामान्य, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0007-नगर प्रबंधको हेतु, विषय शीर्ष- 0007.31.04-सहायक अनुदान-वेतन, विपत्र कोड सं०- 48-2217801930007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इस राशि का व्यय संबंधित नगर पंचायतों में पदस्थापित नगर प्रबंधकों के मानेदय भुगतान पर किया जाएगा।

7. राशि की निकासी एवं व्यय का अनुपालन प्रतिवेदन अथवा प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2019 तक अनिचारा रूप से नगर विकास एवं आवास विभाग में प्राप्त करा देना होगा।

8. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/गै०यो०-19-03/2012 के पृष्ठ सं०-109/टि० पर दिनांक-23.5.18 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-110/टि० पर दिनांक-23.5.18 को प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/गै०यो०-19-03/2012 08 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-24.5.18

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/नगर प्रबंधक, सभी नगर निकाय/कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई०मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. सभी कोषागार, पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाए।

सरकार के विशेष सचिव।